मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.01.2009 से 31.12.2009

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी प्रशासन द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु वांछित कार्यवाही नहीं की गई है। फलस्वरूप अत्यन्त गम्भीर प्रवृति की आपत्तियों कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव नहीं हो सका है। अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई अत्यन्त गम्भीर आपत्तियों के निरस्तीकरण हेतु मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही न करना स्वतः ही चिन्ता जनक है। अतः प्रधान सचिव, भाषा एवं संस्कृति विभाग/मुख्यायुक्त मन्दिर के विशेष ध्यानार्थ यह प्रकरण इस आशय के साथ लाया जाता है कि वह अपने अधीन सभी आयुक्तों, सहायक आयुक्तों एवं मन्दिर अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अत्यन्त गम्भीर प्रवृति की आपत्तियों के निपटारे हेतु समयबद्ध सीमा में अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु उचित निर्देश देने की अनुकम्पा करें ताकि गत कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े अनुच्छेदों का समायोजन सम्भव हो सके अन्यथा अंकेक्षण का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 7.3.1987 से 31.12.95

पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–5 (क) 3	अनिर्णीत
पैरा–5 (क) 4 (1)	अनिर्णीत
पैरा–5 (क) (5)	अनिर्णीत
पैरा–5 (क) (6)	अनिर्णीत
पैरा–5 (क) (17)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ख) (3)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ग) (2)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ग) (5)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ग) (6)	अनिर्णीत
पैरा–5 (घ) (1)	अनिर्णीत
पैरा–5 (घ) (2)	अनिर्णीत
पैरा–5 (घ) (5)	अनिर्णीत

पैरा–5 (घ) (6)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ड.) (2)	अनिर्णीत
पैरा–5 (च)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ज)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ज) 3 से 6	अनिर्णीत
पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ड)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ढ)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत
पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
पैरा–6 (ग से घ)	अनिर्णीत
पैरा–6 (ज से झ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–9 (च)	अनिर्णीत
पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत
पैरा–9 (प)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ब से भ)	अनिर्णीत
पैरा–9 (य से र)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ष से ह)	अनिर्णीत
पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–11 (क से ख)	अनिर्णीत
पैरा–11 (च)	अनिर्णीत
पैरा–11 (छ) (2)	अनिर्णीत
पैरा–11 (ज) 1,2	अनिर्णीत
पैरा–11 (ट)	अनिर्णीत
पैरा–11 (द से ध)	अनिर्णीत
पैरा–11 (ल)	अनिर्णीत
पैरा–11 (श)	अनिर्णीत
पैरा–11 (ह)	अनिर्णीत
पैरा–11 (क्ष)	अनिर्णीत
पैरा–11 (क्ष) (प, फ)	अनिर्णीत
पैरा–12 (क)	अनिर्णीत

पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–12 (ग से ड.)	अनिर्णीत
पैरा–12 (छ से फ)	अनिर्णीत
पैरा–13 (क,ख,ड. तथा छ से ञ)	अनिर्णीत
पैरा–14 (क से घ)	अनिर्णीत
पैरा–15 (क से च)	अनिर्णीत
पैरा–16 (क से ग)	अनिर्णीत
पैरा–16 (ड से य)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.99 से 31.12.99

पैरा–9	अनिर्णीत
पैरा–10	अनिर्णीत
पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–13	अनिर्णीत
पैरा–14	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000

पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
पैरा–8 (5)	अनिर्णीत
पैरा–11	अनिर्णीत
पैरा–19 (क, ग)	अनिर्णीत
पैरा–19 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–19 (ड.)	अनिर्णीत
पैरा–20	अनिर्णीत

पैरा–21	अनिर्णीत
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24	अनिर्णीत
पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–26	अनिर्णीत
पैरा–27	अनिर्णीत
पैरा–29 (क से ग व ड.)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2001 से 31.12.2001

पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
पैरा–10	अनिर्णीत
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–21	अनिर्णीत
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–24	अनिर्णीत
पैरा–25	अनिर्णीत
पैरा–27	अनिर्णीत
पैरा–28	अनिर्णीत
पैरा–29	अनिर्णीत
पैरा–30	अनिर्णीत
पैरा–31 (क से ग)	अनिर्णीत
पैरा–32	अनिर्णीत
पैरा–33	अनिर्णीत

(ड.) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.02 से 31.12.02

पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत

पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–6 (घ) (1)	अनिर्णीत
पैरा–6 (घ) (2)	अनिर्णीत
पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (च) (3)	अनिर्णीत
पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (छ) (2)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत
पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ट)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ठ) (2)	अनिर्णीत
पैरा–9	अनिर्णीत
पैरा–10	अनिर्णीत
पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (1)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (2)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (3)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (4)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (4) (क)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (4) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (4) (ग)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (5)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (5) (क)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (5) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (5) (ग)	अनिर्णीत
पैरा–12	अनिर्णीत
पैरा–14	अनिर्णीत
पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–16 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–16 (ड.)	अनिर्णीत

पैरा—16 (च)	अनिर्णीत
पैरा—17 (1)	अनिर्णीत
पैरा—17 (2)	अनिर्णीत
पैरा—19 (च)	अनिर्णीत
पैरा—20 (क)	अनिर्णीत
पैरा—20 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—20 (ग)	अनिर्णीत
पैरा—20 (प)	अनिर्णीत
पैरा—21	अनिर्णीत
पैरा—24	अनिर्णीत
पैरा—25 (क)	अनिर्णीत
पैरा—25 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—25 (ग)	अनिर्णीत
पैरा—26 (ड.)	अनिर्णीत
पैरा—27	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.03 से 31.12.04

पैरा—5	अनिर्णीत
पैरा—6	अनिर्णीत
पैरा—9 (क)	अनिर्णीत
पैरा—14 (1)	अनिर्णीत
पैरा—14 (2)	अनिर्णीत
पैरा—14 (6)	अनिर्णीत
पैरा—15	अनिर्णीत
पैरा—16	अनिर्णीत
पैरा—16 (क)	अनिर्णीत
पैरा—16 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—16 (ग)	अनिर्णीत
पैरा—17	अनिर्णीत
पैरा—17 (क)	अनिर्णीत
पैरा—18	अनिर्णीत
पैरा—19	अनिर्णीत
पैरा—20	अनिर्णीत
पैरा—21	अनिर्णीत
पैरा—23 (क)	अनिर्णीत

पैरा—24 (1)	अनिर्णीत
पैरा—24 (2)	अनिर्णीत
पैरा—25	अनिर्णीत
पैरा—25 (क (1))	अनिर्णीत
पैरा—25 (क) (2)	अनिर्णीत
पैरा—25 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—25 (घ)	अनिर्णीत
पैरा—26	अनिर्णीत
पैरा—27	अनिर्णीत
पैरा—28	अनिर्णीत
पैरा—31	अनिर्णीत
पैरा—33 (छ) (2)	अनिर्णीत
पैरा—39	अनिर्णीत
पैरा—40 (3)	अनिर्णीत
पैरा—41 (2)	अनिर्णीत
पैरा—42	अनिर्णीत
पैरा—46	अनिर्णीत
पैरा—48 (3)	अनिर्णीत
पैरा—49 (2)	अनिर्णीत
पैरा—51	अनिर्णीत
पैरा—52	अनिर्णीत
पैरा—53	अनिर्णीत
पैरा—54	अनिर्णीत
पैरा—56 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—57	अनिर्णीत
पैरा—58	अनिर्णीत
पैरा—59 (1)	अनिर्णीत
पैरा—59 (2)	अनिर्णीत
पैरा—59 (3)	अनिर्णीत
पैरा—59 (4)	अनिर्णीत
पैरा—59 (5)	अनिर्णीत
पैरा—59 (6)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.05 से 31.12.05

पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–5	निर्णीत (सामान की खपत की सत्यता उपरान्त)
पैरा–7 (1)	निर्णीत (खरीदे गए सामान की एम0ए0एस0 रजिस्टर में सत्यापना उपरान्त)
पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
पैरा–8 (1)	निर्णीत (बिजली के सामान की स्टॉक प्रविष्टि व खपत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करवाए जाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
पैरा–9	अनिर्णीत
पैरा–10	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.06 से 31.12.07

पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–11	अनिर्णीत
पैरा–12	अनिर्णीत
पैरा–13 भाग एक (1 से 6)	अनिर्णीत
पैरा–13 भाग एक (1 से 7)	अनिर्णीत
पैरा–15	अनिर्णीत
पैरा–16	अनिर्णीत
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18 (क से त)	आंशिक निर्णीत (दण्ड ब्याज ₹133766 की वसूली शेष)
पैरा–19 (1 से 6)	अनिर्णीत
पैरा–20 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–21	अनिर्णीत
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24	अनिर्णीत
पैरा–25	अनिर्णीत
पैरा–26	अनिर्णीत
पैरा–27	अनिर्णीत

पैरा—28	अनिर्णीत
पैरा—29	अनिर्णीत
पैरा—33	अनिर्णीत
पैरा—34	अनिर्णीत
पैरा—35	अनिर्णीत
पैरा—36	अनिर्णीत
पैरा—37	अनिर्णीत
पैरा—38	अनिर्णीत
पैरा—39	अनिर्णीत
पैरा—40	निर्णीत (अनुपालना की सत्यापना उपरान्त)
पैरा—41	अनिर्णीत
पैरा—42 (1) व (2)	अनिर्णीत
पैरा—44 (1) से (3)	अनिर्णीत
पैरा—45	अनिर्णीत
पैरा—46	अनिर्णीत
पैरा—47	अनिर्णीत
पैरा—48	अनिर्णीत
पैरा—49	अनिर्णीत
पैरा—50	निर्णीत (स्टॉक प्रविष्टि व खपत की सत्यापना उपरान्त)
पैरा—51	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.01.08 से 31.12.08

पैरा—7	अनिर्णीत
पैरा—8	अनिर्णीत
पैरा—9	अनिर्णीत
पैरा—10	अनिर्णीत
पैरा—11	अनिर्णीत
पैरा—12	अनिर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
पैरा—14	अनिर्णीत
पैरा—15 (i)	अनिर्णीत
पैरा—15 (ii)	अनिर्णीत
पैरा—16	अनिर्णीत
पैरा—17	निर्णीत (₹322 की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
पैरा—18	अनिर्णीत

पैरा–19	निर्णीत (दवाई के वास्तविक मूल्य की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–21	निर्णीत (अग्रिम राशि की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24	अनिर्णीत
पैरा–25 (1)	अनिर्णीत
पैरा–25 (2)	अनिर्णीत
पैरा–26	अनिर्णीत
पैरा–27	अनिर्णीत
पैरा–28	अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के वर्तमान लेखों अवधि 1/09 से 12/09 का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 19.11.10 से 18.1.11 तक ज्वालामुखी में किया गया। जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

आयः– 4/09

व्ययः– 8/09

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के नियन्त्रण अधिकारी/मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं जांच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु उपरोक्त उल्लेखित चयनित मांसों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर संलग्न परिशिष्ट"ग" के अनुसार ₹42,300/–बनता है। जिसे राजकीय कोष में अविलम्ब जमा करवाने हेतु इस राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के नाम भेजने हेतु मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी का वर्ष 2009 का आय व व्यय का वित्तीय विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष 2009

प्रारम्भिक शेष	49027023.82	वर्ष के दौरान व्यय	33453117.'00
वर्ष के दौरान आय			
(क) चढ़ावे के रूप में	35468271.00	अन्तिम शेष	68108427.41
(ख) ब्याज व सावधि ब्याज	4777779.36		
(ग) अन्य आय	12288470.23		
कुल आय (क, ख, ग)	52534520.59		
कुल योग	101561544.41	कुल योग	101561544.41

5 वित्तीय स्थितिः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की वर्ष 2009 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित प्रकार से हैः–

वर्ष 2009	
आरम्भिक शेष	49027023.82
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	52534520.59
कुल योग	101561544.41
वर्ष के दौरान किए गए व्यय की कुल राशि	33453117.00
अन्तिम शेष	68108427.41

(i) अन्तिम शेष का विवरणः–

(क) बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.12.2009 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बैंका का नाम	बैंक खाता संख्या	जमा राशि ₹
1	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	11633	1186830.64
2	–यथोपरि–	19947	366327.28
3	–यथोपरि–	16388	85480.90
		योग	1638638.82
4	सी0बी0आई0	900 10551097078	86894.00

5	एस0बी0आई0	55628	2319.00
6	एच0डी0एफ0सी0	06051450000059	55802.59
		कुल योग	**1783654.41**

(ख) सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.09 तक जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**निवेशित राशि ₹**
1	के0सी0सी0वी0 देहरा	546200	1898788
2	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	12389	479466
3	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	3000000
4	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	551036
5	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	2000000
6	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	420295
7	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	402225
8	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	341688
9	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	5000000
10	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	540000
11	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	5000000
12	एस0बी0आई0 ज्वालामुखी	30766947560	2500000
13	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	5000000
14	एस0बी0आई0 ज्वालामुखी	30766956631	713909
15	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	29 / 64	3500000
16	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	3091900	2500000
17	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	24 / 667	2500000
18	एस0बी0आई0 ज्वालामुखी	30752826663	887877
19	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	230105	4000000
20	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	230105	4000000
21	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	2500000
22	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	230105	1000000
23	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	2330562	1000000
24	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	1000000
25	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	1500000
26	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	1000000
27	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	230105	1000000
28	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	1000000

29	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	5500000
30	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	071700	5500000
31	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	14837	800000
		योग	**67035284**

(क) व (ख) का कुल योग (1783654.41+67035284)=68818938.41

वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष = 68108427.41

अन्तर = 710511.00

(ii) अन्तर का कारणः–

₹710511.00 का अन्तर रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.12.09 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में अन्तर (अधिक व कम) के कारण है जिसका विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरण सहित निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बैंक खाता सं0	बैंक का नाम	रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष	बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर
1	11633	पी0एन0बी0			
2	19947	पी0एन0बी0			
3	16388	पी0एन0बी0			
			932517.82	1638638.82	(+)706121
4	900 10551097078	सी0बी0आई0	82504.00	86894.00	(+) 4390
5	55628	एस0बी0आई0	2319.00	2319.00	–
6	06051450000059	एच0डी0एफ0सी0	55802.59	55802.59	–
		कुल योग	1073143.41	17836	710511.00

बैंक समाधान विवरण

(i) रोकड़ वही के अनुसार पी0एन0बी0 का शेष	932517.82
(+) जमाः– चैक जो 31.12.09 तक जारी किए गए लेकिन 21.12.09 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए है (परिशिष्ट–"क")	706121.00
बैंक पास बुक के अनुसार शेष	1638638.82
(ii) रोकड वही के अनुसार सी0बी0आई0 का शेष	82504.00
(+) जमाः– चैक जो 31.12.09 तक जारी किए गए लेकिन 31.12.09 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए है (परिशिष्ट–"ख")	4390.00
बैंक पास बुक के अनुसार शेष	86894.00

6 वित्तीय विवरणः—

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में वर्ष 2007, 2008 व 2009 की आय व व्यय का वित्तीय विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	आय	वृद्धि या कमी की प्रतिशतता	व्यय	वृद्धि या कमी की प्रतिशतता
2007	36025079.80	—	24405567.00	—
2008	42210056.14	(+ 17.16%)	29053463.14	(+ 19.04%)
2009	52425804.12	(+ 24.20%)	33453117.00	(+ 15.14%)

7 वर्ष 2009 में सोने की स्थितिः—

	किलो	ग्राम	मिली ग्राम
आरम्भिक शेष	29	609	799
वर्ष 2009 के दौरान प्राप्ति	01	144	300
कुल योग	30	754	099
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सोने की मात्रा	30	361	099
अन्तर (—)	00	393	000

अन्तर का कारणः—

वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 (ख) में अन्तर का कारण दर्शाया गया है। जिसका मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। जिसका तुरन्त निपटारा किया जाना अपेक्षित है। यह मामला मन्दिर न्यास प्राधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि समय रहते समाधान सम्भव हो सके।,

8 वर्ष 2009 में चांदी की स्थितिः—

	किलो	ग्राम	मिली ग्राम
आरम्भिक शेष1.01.09	1158	149	990
वर्ष 2009 के दौरान प्राप्त चांदी	069	194	300
जमाः— भौतिक सत्यापन कमेटी के अवधि 7.3.87 से 31. 1.09 के चांदी रिकार्ड के पुर्ननिरीक्षण पर अधिक पाई	1	050	000

गई मात्रा			
जमाः— भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई चांदी की मात्रा व वास्तविक रूप से चांदी जितनी अधिक पाई गई	6	112	660
कुल योग	1234	506	950
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार चांदी की मात्रा	66	903	300
अन्तर (—)	1167	603	650

अन्तर का कारणः—

अन्तर का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः—

	कि0ग्रा0	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
(i) दिनांक 31.8.03 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में 2 किलो 046 ग्राम व 650 मिली ग्राम दर्शाई गई चांदी को स्टॉक में खारिज करने के कारण अन्तर है। इस सन्दर्भ में उठाई गई आपत्ति का अविलम्ब निपटारा किया जाए।	002	046	650
(ii) मन्दिर में प्रयोग की गई तथा प्रतिदिन प्रयोग होने वाली चांदी की मात्रा जिसे दिनांक 31.1.09 को स्टॉक से खारिज कर दिया है।	783	677	000
(iii) संरक्षण हेतु रखे गए 231 सिक्कों का वजन/मात्रा जिसे स्टॉक से दिनांक 31.1.09 को खारिज किया गया है।	002	680	000
(iv) एक श्री यन्त्र, एक गढ़वा, एक छोटी घंटी, एक बड़ी घंटी, एक ज्योति का वजन जिसे स्टॉक से दिनांक 31.1.09 को स्टॉक से खारिज किया गया।	004	426	000
(v) दिनांक 26.2.09, 27.2.09 व 7.3.09 को पिघलाने व शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान नष्ट दर्शाई गई चांदी जिसे स्टॉक से खारिज किया गया है।	154	949	000
(vi) 374 किलो ग्राम 74 ग्राम चांदी पिघलाने व शुद्धिकरण उपरान्त प्राप्त शत प्रतिशत शुद्ध मात्रा जिसे ईटें बनाकर स्ट्रांग रूप में जमा करवाया गया व स्टॉक से खारिज कर दिया गया।	219	825	000
कुल योग	1167	603	650

नोटः— क्रम संख्या (ii), (iii), (iv) व (vi) पर उल्लेखित चॉदी की मात्रा क्रमशः 783 कि0 677 ग्रा0, 2कि0 680ग्रा0, 4 कि0 426ग्रा0 व 219 कि0 825ग्रा0 कुल 1 टन 10 कि0 608ग्रा0 (1010कि0 608ग्रा0) जिसे चांदी के स्टॉक से खारिज किया गया व चांदी स्टॉक रजिस्टर नम्बर—2 चांदी के सिक्कों का स्टॉक रजिस्टर सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया दर्शाया है। सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप उक्त 1 टन 10कि0 608ग्रा0 (1010 कि0 608ग्रा0) चांदी की मात्रा के सम्बंधित रजिस्टरों में हस्तांतरण की सत्यापना की

पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव नहीं हो सकी। इसलिए उक्त मात्रा कुल चांदी की मात्रा में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त चांदी पिघलाने एवं शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान खोट के रूप में नष्ट दर्शाई गई चांदी की मात्रा 154 कि0 949ग्रा0 को भी अपेंक्षित अभिलेख के अभाव में चांदी की कुल मात्रा में सम्मिलित रखा गया है।

9 भौतिक सत्यापन के दौरान 6कि0 112ग्रा0 660 मि0ग्रा0 चांदी की मात्रा का स्टॉक में अधिक पाया जानाः–

जांच के दौरान पाया गया कि आयुक्त मन्दिर, जिला कांगड़ा के आदेशों की अनुपालना में दिनांक 31.1.09 को गठित कमेटी ने चांदी के स्टॉक रजिस्टर की व वास्तविक चांदी की मात्रा की भौतिक सत्यापना की गई। जिसमें चांदी के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दर्शाई गई मात्रा व भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई चांदी की मात्रा में 6कि0 112ग्रा0 660मि0 ग्रा0 का अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

	कि0	ग्रा0	मि0 ग्रा0
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.1.09 को उपलब्ध चांदी की मात्रा	375	767	340
भौतिक सत्यापन करने पर उपलब्ध वास्तविक मात्रा	381	880	000
अन्तर	006	112	660

अन्तर का कारणः–

मन्दिर कार्य के दौरान दीवारों से उतारे गए चांदी के पत्रों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना था, जिसे मन्दिर द्वारा गठित कमेटी द्वारा मौके पर ही चांदी स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करवा दिया गया। यद्यपि कम इन्द्राज की गई चॉदी की मात्रा 6 कि0 112 ग्रा0660 मि0 ग्राम का इन्द्राज चांदी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है तथापि उक्त गम्भीर अनियमितता हेतु उत्तरदायी कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी अपेक्षित है। यदि कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन न किया गया होता तो ऐसी परिस्थिति में 6कि0ग्रा0 112 ग्राम 660मि0ग्रा0 चांदी गवन होने की सम्भावना बनी रहती। अतः मन्दिर प्राधिकारी उक्त प्रकरण में आवश्यक जॉच/छानबीन के उपरान्त चूककर्ता के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लग सके।

10 चांदी पिघलाने का शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान 154कि0 949ग्रा0 चांदी को नष्ट हुई दर्शाकर स्टॉक से खारिज करने बारेः–

चांदी स्टॉक रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि चांदी पिघलाने एवं शुद्धिकरण प्रक्रिया हेतु आयुक्त मन्दिर द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 26.2.09 से 27.2.09 व दिनांक 28. 2.09 को 374 कि0ग्रा0 774 ग्रा0 चांदी को पिघलाने एवं शुद्धिकरण का कार्य मन्दिर में करवाया

गया उक्त चांदी पिघलाने व शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान 374 कि0 774 ग्रा0 चांदी में से 154 कि0 949ग्रा0 चांदी उक्त प्रक्रिया के दौरान नष्ट हुई दर्शाई है व शेष शत प्रतिशत शुद्ध चांदी की मात्रा 219 कि0 825 ग्रा0 की ईटें बनाकर पुनः स्ट्रांग रूप में जमा करवा दिया गया दर्शाया है। उक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि शुद्धिकरण व पिघलाने के दौरान 41.34% चांदी की मात्रा (154कि0 949ग्रा0) नष्ट हुई दर्शाना सन्देहास्पद है। अतः चांदी के खोट की अत्याधिक दर्शाई गई प्रमात्रा के सन्दर्भ में चांदी को पिघलाने व शुद्धिकरण हेतु गठित कमेटी की ओर से ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यह भी स्पष्ट करें कि 154.949 कि0ग्रा0 चांदी नष्ट होंने पर यह मात्रा किस स्वरूप/धातु में अलग से निकाली गई व इस समय किस अवस्था में रखी गई है अन्यथा इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जॉच करवा कर वस्तुस्थिति से शीध्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

11 स्थापना व्ययः—

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में एक अधिकारी व दो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास में कुल 93 कर्मचारी है जिनमें से 74 कर्मचारी नियमित वेतन, 15 नियम वेतन, 3 कर्मचारी दैनिक वेतन तथा एक मस्टरोल पर कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त मन्दिर में 8 गृह रक्षक व 7 सुरक्षा गार्ड भी कार्यरत्त है। वर्ष में लगने वाले नवरात्रों के दौरान 60 सफाई कर्मचारी, 60 से 100 गृह रक्षक व 50 अस्थाई कर्मचारी भी अलग से मेलों के दौरान नियुक्त किए जाते है। उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों पर वर्ष 2009 में वेतन के रूप में ₹9587079 खर्च किए गए है जो कि 2009 के कुल व्यय का 28.65% व आय का 18.28% है। उपरोक्त उल्लेखित स्थापना व्यय की प्रतिशतता में वर्ष के दौरान लगने वाले नवरात्रों के दौरान 60 सफाई कर्मचारी, 60 से 100 गृह रक्षक व 50 अस्थाई कर्मचारियों का वेतन शामिल नहीं है।

12 बजट में प्रावधान के बगैर किए गए व्यय राशि ₹559728 के बारेः—

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2009 में जिन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय करने का कोई भी प्रावधान बजट में नहीं किया गया था। उन शीर्षों पर भी मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2009 में ₹559728 अनाधिकृत रूप से किये गए है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में बजट के प्रावधान बिना अनियमित रूप से व्यय किए जाने बारे निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष का नाम	वर्ष 2009 में व्यय
1	कोर्ट केस	8750
2	शॉपिंग काम्पलैक्स	21835
3	साधारण सराय निर्माण	35789
4	मुआमला बिल	110

5	मन्दिर अधिकारी आवास तथा पौडियां	4724
6	वाटर कूलर रिपेयर	24000
7	सीवरेज बिल/कुनैक्शन	1005
8	स्वागत कक्ष	11830
9	पर्यटन सूचना केन्द्र	1399
10	सोफा सेट रिपेयर	7000
11	जूता कक्ष	26188
12	शौचालय व यात्री निवास को ठेके पर देने की सूचना	61987
13	यात्री निवास संचालन	52142
14	लंगर हाल में रंग रोगन	17913
15	मन्दिर अधिकारी आवास हेतु फर्नीचर	34000
16	मन्दिर मार्ग नं0 1 की साफ सफाई	126928
17	चांदी पिघलाने पर	28101
18	गृह रक्षक क्वाटर रिपेयर	21027
19	मैट क्रय करने हेतु	55000
20	टैन्ट खरीदने हेतु	20000
	कुल योग	**559728**

अतः उपरोक्त अनियमित व्यय को नियमित करवाने हेतु वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए व भविष्य में बजट के प्रावधानों के अनुरूप ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 ₹2211572/—वर्ष 2009 में स्वीकृति बजट से अधिक व्यय करने बारेः—

निमनलिखित उपशीर्षों/शीर्षों के अन्तर्गत किए गए बजट प्रावधान से वर्ष 2009 में अधिक व्यय किया गया है जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुपूरक बजट या पुनर्विनियोजन द्वारा व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित था अन्यथा इस प्रकार का किया गया व्यय अनाधिकृत है। अतः इस प्रकार के व्यय के नियमितकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए व बजट में किए गए प्रावधान के अनुरूप ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष का नाम	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
1	बिजली / पानी बिल	800000	884171	84171
2	संस्कृत विद्यालय संचालन	50000	58419	8419
3	दान पर	100000	111400	11400
4	बारीदार अदायगी	12500000	14381356	1881356
5	नवरात्रा मेलों पर	800000	1026226	226226
			कुल योग	**2211572**

14 ₹3895448 वर्ष 2009 के दौरान वारीदारों को गलत एवं अधिक भुगतान–

आयुक्त मन्दिर के कार्यालय पत्र संख्या 5235 / पी0एफ0आर0 / दिनांक 31.08.1988 जिसके अन्तर्गत वारीदारों को मुख्य मन्दिर व शैया भवन की आय मे से पूजा अर्चना व मन्दिर रख रखाव के व्यय (प्रथम प्रभार) को घटाने के बाद शेष बची आय का 50 प्रतिशत हिस्सा ही दिया जाना अपेंक्षित था। मन्दिर आयुक्त के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी मन्दिर न्यास मनमाने तरीके से मुख्य मन्दिर की आय में से 20 प्रतिशत पूजा अर्चना का व्यय घटाने उपरान्त शेष बची आय का 50 प्रतिशत हिस्सा बारीदारों को दिया जा रहा है और यह हिस्सा दिन–प्रतिदिन की आय मे से दिया जा रहा है, जबकि उपरोक्त निर्णय अनुसार बारीदारों को उनके हिस्से का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाना अपेक्षित था। जहॉ एक तरफ गत 15 वर्षों में पूजा अर्चना एवं मन्दिर रख रखाव व्यय की वास्तविक लागत कम किए बगैर बारीदारों को उनके हिस्से के रूप में करोंड़ों रूपयों का अधिक भुगतान किया जा चुका है वहीं दूसरी तरफ बारीदारों को त्रैमासिक आधार पर भुगतान करने से मन्दिर को ब्याज स्वरूप उपार्जित होने वाली लाखों रूपये की आय की भी हानि हुई है। वर्ष 2009 में ही पूजा अर्चना व मन्दिर रख रखाव व्यय की वास्तवकि कटौती किए बगैर बारीदारों को उनके हिस्से के रूप में ₹3895448 का गलत एवं अधिक भुगतान हुआ है जिसकी गणना निम्न प्रकार से बनती हैः–

1	वर्ष 2009 के दौरान मुख्य मन्दिर की आय	33425595
2	वर्ष 2009 के दौरान शैया भवन की आय	1729472
3	वर्ष 2009 के दौरान शैया पूजा की आय	211004
4	वर्ष 2009 के दौरान कटे–फटे नोट की आय	102200
5	**कुल योग**	35468271

6 घटावः– पूजा अर्चना एवं मन्दिर रख रखाव व्यय वर्ष 2009 (वास्तविक)

(i) पूजा अर्चना	189529
(ii) लंगर संचालन	2285687

(iii) मन्दिर कर्मचारी वेतन	8710585
(iv) सरकारी कर्मचारी वेतन	876494
(v) गृह रक्षक वेतन	766814
(vi) औषधालय व्यय	109326
(vii) डिग्री कॉलेज व्यय	1500000
(viii) संस्कृत कॉलेज व्यय	58419
कुल योग	14496854
7 शेष शुद्ध आय जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा बारीदारों को दिया जाना अपेक्षित था (5–6)	20971417
8 बारीदारों को दिया गया हिस्सा	14381156.00
9 नियमानुसार जो देय था	10,48,5708.00
10 अधिक एवं गलत भुगतान	3895448.00

यद्यपि इस मामले को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाया गया तथापि मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त उल्लेखित आयुक्त मन्दिर के निर्णय की अनुपालना न करना मन्दिर न्यास की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार व मुख्य आयुक्त मन्दिर के विशेष ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित आयुक्त मन्दिर के निर्णय को तुरन्त प्रभाव से अमल में लाए जाने व वर्ष 2009 में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली/समायोजन हेतु मन्दिर न्यास को उचित निर्देश देने की कृपा करें व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को भी अवगत किया जाएं।

15 वर्ष 2009 के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में न्यास कर्मचारियों को अधिक एवं गलत भुगतान ₹5229 बारेः–

मन्दिर न्यास कर्मचारियों को मई 2009 में ₹566747/–प्रोत्साहन राशि मन्दिर न्यास की आय में गत वर्ष की तुलना में हुई बढ़ौतरी का (10 प्रतिशत) के रूप में दिए गए है जो कि आयुक्त मन्दिर द्वारा स्वीकृति किए गए है। उक्त वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि माननीय आयुक्त एवं जिलाधीश कांगडा द्वारा उक्त उल्लेखित प्रोत्साहन की राशि की गणना का आधार मन्दिर न्यास की आय में गत वर्षों की तुलना में हुई वृद्धि को माना है जिसमें सावधि जमा योजना का ब्याज, अग्रिमों की वसूली व आडिट द्वारा निकाली गई गलत एवं अनियमित भुगतान की वसूली गोल्ड वॉण्ड पर अर्जित ब्याज की राशि भी शामिल कर ली गई है जो कि अनियमित है। वास्तव में आय में हुई कुल वृद्धि उपरोक्त उल्लेखित मदों की राशि को कम करने के उपरान्त ही प्रोत्साहन की राशि की गणना एवं तदोपरान्त कर्मचारियों को भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त प्रकरण मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारीगण के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि भविष्य में शुद्ध आय की गणना उपरान्त (जैसे कि इस पैरे में उल्लेखित है) ही प्रोत्साहन राशि दी जानी सुनिश्चित की जाए व इसके अतिरिक्त वर्ष

2009 में प्रोत्साहन राशि के रूप में किए जा चुके अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से करने के उपरान्त मन्दिर न्यास कोष में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं। अधिक एवं गलत दी गई प्रोत्साहन राशि की गणना निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष 2009 में दी गई प्रोत्साहन राशि	566747
वर्ष 2009 में वास्तव में देय प्रोत्साहन राशि	561518
अधिक एवं गले भुगतान	5229

देय प्रोत्साहन राशि की गणना निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**विवरण**	**वर्ष 2008**	**वर्ष 2007**
1	कुल आय	42210056	36025079
	(i)(–) बैंक ब्याज	351469	1362802
	(ii)(–) सावधि ब्याज	1365962	–
	(iii)(–) गोल्ड बॉण्ड ब्याज	713910	551036
	(iv)(–) अग्रिम वसूली	21290	–
	(v)(–) आडिट वसूली	31000	–
2	योग ((i)से (v))	2483631	1913838
3	आय	39726425	34111241
4	गत वर्ष की तुलना में आय वृद्धि	6184977	
5	आय में शुद्ध वृद्धि	5615184	
6	देय 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि	561518	

16 दवाईयों के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि वास्तविक शेष से कम दर्शाकर कुछ दवाईयों का सम्बंधित कर्मचारी द्वारा दुरूपयोग कर लिया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**स्टॉक रजिस्टर नं0/पेज नं0**	**दिनांक**	**दवाई का नाम**	**वास्तविक शेष की मात्रा**	**स्टाूक रजिस्टर में दर्शाए शेष की मात्रा**	**कम दर्शाई गई मात्रा**
1	2/162	30.11.09	टेबलेट सेपटिन	620	520	100
2	2/171	9.6.09	सीरप मनसीटन	26	24	2
			सीरप लीवाकेयर			
			सीरप फेम एड			

उक्त कम दर्शाई गई 100 टेबलट और 2 सीरप का वास्तविक मुल्य निर्धारित कर वसूली सम्बंधित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 लंगर के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न निधियों को स्टॉक रजिस्टर से जारी की गई मात्रा को घटाने उपरान्त जो अन्तिम शेष की मात्रा होनी चाहिए उससे कम मात्रा दर्शाकर सामान का दुरूपयोग कर लिया गया है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व दुरूपयोग किए गए सामान के मूल्य का वास्तविक निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। दुरूपयोग किए गए समान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	स्टॉक रजिस्टर नं0/पेज नं0	दिनांक	सामान का विवरण	वास्तविक शेष की मात्रा	स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई मात्रा	अन्तर
1	51/7	20.5.09	चावल	15 क्विंटल 27 कि0ग्रा0	15 क्विंटल 17 कि0ग्रा0	10 कि0ग्रा0
2	51/10	9.9.09	चावल	69 क्विंटल 91 कि0ग्रा0	69 क्विंटल 71 कि0ग्रा0	20 कि0ग्रा0
3	44/115	14.01.09	गिलास स्टील	1689	1686	3 गिलास

18 लंगर स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर से भिन्न–2 सामान कितनी मात्रा में जारी किया गया दर्शाया है उतनी मात्रा में दैनिक खपत रजिस्टर के अनुसार सामान की खपत नही हुई है अर्थात सामान की खपत कम हुई है, लेकिन शेष बचे सामान का पुनः स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न लेकर इसका दुरूपयोग कर लिया गया है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व दुरूपयोग किए गए सामान के मूल्य का वास्तविक करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। दुरूपयोग किए गए सामान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	सामान का नाम	दिनांक/स्टॉक रजिस्टर नम्बर	स्टॉक रजिस्टर पेज नं0	स्टॉक रजिस्टर में जारी की गई मात्रा	दैनिक खपत रजिस्टर पेज नम्बर	दैनिक खपत रजिस्टर मे खपत की गई मात्रा	अन्तर
1	फ्लौरियां	4.8.09 49	145	2 किलो ग्राम	372	–	2कि0ग्रा0
2	आटा	22.8.09 51	152	22 किलो ग्राम	8	2किलोग्राम	20कि0ग्रा0
3	चायपत्ती	19.8.09 49	116	250 ग्राम	5	–	250 ग्राम
4	सोये	18.8.09 53	45	200 ग्राम	4	–	200 ग्राम
5	दूध	30.8.09 49	95	4 किलो ग्राम	16		4किलोग्राम

19 लंगर में रसीदों से प्राप्त सामान की जांच करने पर पाया गया कि रसीदों में प्राप्त सामान को सम्बंधित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके या कम मात्रा में सामान दर्ज करके प्राप्त सामान का दुरूपयोग कर लिया गया है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व दुरूपयोग किए गए सामान के मूल्य का वास्तविक मूल्य निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। दुरूपयोग किए गए सामान का विवरण निमनलिखित प्रकार से है:–

क्र0सं0	दिनांक	रसीद नम्बर	सामान का विवरण	मात्रा	स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई मात्रा	अन्तर
1	2.4.2009	010594	चावल	30 कि0ग्रा0	–	30 किलोग्राम
2	11.4.2009	10647	चने दाल	1 किलो ग्राम		
		10648	चने दाल	2 किलोग्राम		1
		10649	चने दाल	1 किलोग्राम	3 किलाग्राम	किलोग्राम
3	3.4.2009	010598	कड़छी	1 नम्बर	–	1 नम्बर

20 लंगर प्रभारी द्वारा 1 टन 5 क्विंटल 86 किलोग्राम गेहूँ का आटा प्रचलित दरों से कम दरों पर बेचने के कारण मन्दिर कोष में हुई ₹15860 बारेः–

लंगर स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि माह जुलाई 2009 में 110 किलोग्राम, माह अगस्त 2009 मे 1248 किलोग्राम, माह सितम्बर 2009 में 218 किलोग्राम व माह अक्तूबर 2009 में 10 किलोग्राम कुल 1586 किलोग्राम (1 टन 5 क्विंटल 86 किलोग्राम) आटा ₹7/–प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर ₹11102/–प्राप्त हुए है। सम्बंधित नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि सहायक आयुक्त मन्दिर द्वारा टिप्पणी संख्या 47,48 दिनांक 12.7.09 को आटा प्रचलित दरों पर बेचने की अनुमति दी गई है, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त उल्लेखित गेहूँ के आटे की मात्रा 1 टन 5 क्विंटल 86 किलोग्राम प्रचलित दर जो कि ₹17/–से ₹20/–प्रति किलो ग्राम के बीच है, पर न बेच कर ₹7/–प्रतिकिलोग्राम की दर (स्वेच्छा से निर्धारित दर) से बेच दिया गया है। फलस्वरूप मन्दिर कोष को कम से कम ₹10/–प्रति किलोग्राम (17–7) की दर से ₹15860 की वित्तीय हानि हुई है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर के लंगर में आटे का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि लंगर में दोपहर व शाम को केवल चावल पकाने का ही प्रावधान है। लंगर प्रभारी द्वारा 1 टन 5 क्विंटल 86 किलोग्राम गेहूँ का आटा प्रचलित दरों के विपरीत स्वेच्छानुसार निर्धारित दर पर बेचने के कारण मन्दिर कोष को हुई वित्तीय हानि ₹15860/–की वसूली सम्बंधित लंगर प्रभारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 मन्दिर अधिकारी एवं सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली बिलों के रूप में अवधि 1.03.09 से 30.11.10 तक राशि ₹34774/–का मन्दिर कोष से अनियमित एवं गलत भुगतानः–

मन्दिर अधिकारी एवं सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास पर लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 की अवधि 1.3.09 से 30.11.10 तक बिजली बिलों का भुगतान स्वरूप ₹34774/–अनियमित एवं गलत तरीके से मन्दिर कोष से किया गया है क्योंकि इस प्रकार का व्यय मन्दिर न्यास पर उचित प्रभार नहीं है। विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बिजली बिल की तिथि	भुगतान राशि
1	7.3.09	3238
2	20.4.09	1983
3	16.6.09	2692
4	18.8.09	2555
5	23.10.09	2237

6	18.12.09	3475
7	16.02.10	5310
8	17.04.10	2796
9	13.05.10	1494
10	15.7.10	2378
11	14.9.10	3285
12	16.11.10	3331
	कुल योग	**34774**

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के नियम 2000 व हिन्दु सार्वजनिक एवं धार्मिक वित्त अधिनियम 1984 में मन्दिर अधिकारी एवं सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली मीटर के बिजली के बिलों का मन्दिर कोष से भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा व्यय की गई राशि की वसूली सम्बंधित अधिकारियों से करके मन्दिर न्यास के खाते में जमा की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

22 जांच के दौरान पाया गया कि लंगर स्टॉक रजिस्टर से आटा को विभिन्न तिथियों में जारी किया गया दर्शाया है, जबकि लंगर मेन्यू के अनुसार दोपहर व शाम के लंगर मे केवल चावल, दाल और कड़ी बनाने का प्रवधान है जब लंगर में केवल चावल बनाने का प्रावधान है तो आटा को जारी करके उसका सम्बंधित कर्मचारी द्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः ठोस तथ्यों सहित आटे के उपयोग बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा दुरूपयोग किए गए आटे के मूल्य का वास्तविक मूल्य निर्धारण करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सम्भावित दुरूपयोग किए गए आटे का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	**माह**	**जारी किया गया आटा**
1	जनवरी	225 किलोग्राम
2	फरवरी	188 किलोग्राम
3	मार्च	163 किलोग्राम
4	अप्रैल	27 किलोग्राम
5	मई	142 किलोग्राम
6	जून	126 किलोग्राम
7	जुलाई	30 किलोग्राम
8	अगस्त	160 किलोग्राम

9	सितम्बर	110 किलोग्राम
10	अक्तूबर	168 किलोग्राम
11	नवम्बर	106 किलोग्राम
12	दिसम्बर	68 किलोग्राम
	योग	1513 किलोग्राम

23 मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर पेज नम्बर 39 दिनांक 8.4.2009 को गणना के दौरान कोई भी कटा फटा पुराना नोट प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि डे–बुक में दिनांक 8.4.2009 को मुख्य मन्दिर के गल्ले की गणना के दौरान प्राप्त कटे–फटे पुराने नोट में ₹1200/–प्राप्त हुआ दर्शाया है। जब गल्ला रजिस्टर में फटा पुराना नोट कोई भी प्राप्त नहीं हुआ तो डे–बुक में उक्त दिनांक को उपरोक्त उल्लेखित राशि के कटे फटे पुराने नोट गणना के दौरान प्राप्त होना दर्शाना गल्ला गणना कमेटी सदस्यों की कार्यप्रणाली को सन्देह के घेरे में लाता है। अतः वास्तविकता से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 शैया पूजा व शैया भवन से प्राप्त आय रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि शैया भवन व शैया पूजा में रखे गल्लों की गणना के लिए गणना रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। जो रजिस्टर तैयार किया है उसमें केवल यह लिखा जाता है कि किस तारीख को कितने रूपये/पैसे हुए है, जबकि नियमानुसार प्राप्त नोटों एवं सिक्कों का अभिलेख मुख्य मन्दिर के गल्ला रजिस्टर जैसे कि हजार, पांच सौ, एक सौ, पच्चास, बीस, दस, पांच, दो, एक के नोटों के हिसाब से रखना अनिवार्य है इस विषय को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/06 से 12/07 के पैरा संख्या 39 में उठाया गया था लेकिन मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही न करना मन्दिर न्यास प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अतः नियमों के अनुरूप एवं अंकेक्षण के सुझावनुसार तुरन्त वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 ₹1200/–का गवनः–

मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न तिथियों को ₹1200/–उपरोक्त का गवन कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) गल्ला गणना रजिस्टर पेज नम्बर 23 दिनांक 31.3.'09 को प्राप्त वास्तविक आय से ₹100.00 की राशि कम दर्शाई गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	प्राप्त राशि का विवरण	प्राप्त वास्तविक आय	गल्ला गणना रजिस्टर में दर्ज की गई आय	अन्तर
1	नोटों से प्राप्त कुल आय	60721	60721	–
2	सिक्को से प्राप्त आय			
	1x16000	16000	16000	–
	50x400	200	200	–
	5x364	1820	1720	100
	2x3000	6000	6000	–
		24020	23920	100
	कुल योग((1) व (2))	**84741**	**84641**	**100**

(ii) गल्ला गणना रजिस्टर पेज नम्बर 81 दिनांक 15.5.09 को प्राप्त वास्तविक आय का योग ₹1000.00 कम दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	प्राप्त राशि का विवरण	प्राप्त वास्तविक आय	गल्ला गणना रजिस्टर में दर्ज की गई आय	अन्तर
1	नोटों से प्राप्त आय			
	1000x1	1000		
	500x19	9500		
	100x176	17600		
	50x226	11300		
	20x118	2360		
	10x2180	21800		
	5x266	1330		
	2x9	18		
	1x23	23		
	योग	64931	63931	1000
2	सिक्कों से प्राप्त आय			
	1x1600	1600		
	50x98	49		
	5x320	1600		
	2x300	600		
	योग	3849	3849	–
	कुल योग ((1) व (2))	**68780**	**67780**	**1000**

(iii) गल्ला गणना रजिस्टर पेज नम्बर 69 दिनांक 4.10.09 को प्राप्त वास्तविक आय से ₹100.00 की राशि कम दर्शाई गई है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्र0सं0	**प्राप्त राशि का विवरण**	**प्राप्त वास्तविक आय**	**गल्ला गणना रजिस्टर में दर्ज की गई आय**	**अन्तर**
1	नोटों से प्राप्त कुल आय	165266	165266	–
2	सिक्को से प्राप्त आय			
	1x2000	2000	2000	–
	50x68	34	34	–
	5x364	1770	1670	100
	2x500	1000	1000	–
	योग	4804	4704	100
	कुल योग((1) व (2))	170070	169970	100

उपरोक्त गवन की गई ₹1200.00 की राशि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए एवं इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बंधित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 मुख्य मन्दिर गल्ला रजिस्टर पेज नं0 148 दिनांक 8.7.09 की जांच करने पर पाया गया कि सिक्कों के रूप में प्राप्त आय को वास्तविक आय से अधिक दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्र0सं0	**प्राप्त राशि का विवरण**	**प्राप्त वास्तविक आय**	**गल्ला गणना रजिस्टर में दर्ज की गई आय**	**अन्तर**
1	नोटों से प्राप्त कुल आय	94227	94227	–
2	सिक्को से प्राप्त आय			
	1x1800	1800	1800	–
	50x26	13	13	–
	5x400	2000	2000	
	2x5	10	1000	990
	योग	3823	4813	990
	कुल योग((1) व (2))	98050	99040	990

अतः ₹990.00 अधिक गल्ला गणना रजिस्टर में दर्शाई गई राशि गल्ला गणना कमेटी सदस्यों की कार्यप्रणाली को सन्देह के घेरे में लाती है एवं लापरवाही को परिलक्षित करती है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक जॉच के उपरान्त वास्तविकता से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 13 दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण हो रही प्रति वर्ष ₹31824/—की वित्तीय हानि बारेः—

जांच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी ने 13 दुकानें दिनांक 9.3.07 से किराए पर दे रखी हैं जिनमें से कुछ दुकानदारों द्वारा किराए को अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप समय—2 जमा नहीं करवाया गया व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कुछ दुकानदारों से किराए व दण्ड ब्याज के रूप में कई लाखों रूपये वसूलने हेतु शेष थे। मन्दिर न्यास द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दण्ड ब्याज वसूलने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई व दिनांक 1.10.09 को सभी 13 दुकानों का किराया आयुक्त मन्दिर द्वारा दुकानदरों के अनुरोध पर कम कर दिया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0सं0	दुकान नं0	आकार	दुकानदार का नाम	पुराना किराया 1.3.07 से		नया किराया 1.10.09 से
1	10	112.98 वर्ग फुट	अनिल कुमार	904		677
2	11	131.56 वर्ग फुट	कृष्ण स्वरूप	1052		751
3	15	109.32 वर्ग फुट	प्रशान्त शर्मा	875		663
4	18	109.32 वर्ग फुट	पवन कुमार	875		663
5	20	109.32 वर्ग फुट	विनय कुमार	875		663
6	23	90.47 वर्ग फुट	नवीन कुमार	724		587
7	24	86.51 वर्ग फुट	मधु सूदन	692		571
8	25	81.34 वर्ग फुट	चूड़ा मणि	651		551
9	26	80.05 वर्ग फुट	विनय कुमार	640		545
10	27	162. 69 वर्ग फुट	देशबन्धु	1302		876
11	22	102.62 वर्ग फुट	ब्रिजेश्वर दत्त	821		636
12	12	118.57 वर्ग फुट	सुवोध शर्मा	875		663
13	19	109.32 वर्ग फुट	संदीप कुमार	875		663
			अन्तर प्रतिमाह	11161	(—)8509	₹2652

उक्त 13 दुकानो का किराया लगभग 2¼ वर्ष बाद अनियमित रूप से करने के कारण मन्दिर न्यास कोष में प्रति वर्ष ₹31824/—की वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है।

नियमानुसार दुकानों का किराया नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा किराए पर दी गई दुकानों की तर्ज पर निर्धारित { दर प्रति वर्ग फुट पी0डब्लयू0डी0 के अनुसार निर्धारित} किया जाना अपेक्षित है। अतः अनुरोध किया जाता है कि सभी दुकानों के किराए का (नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा अपने दुकानों को किराए पर देने हेतु निर्धारित प्रति वर्गफुट के अनुसार पुनः निर्धारण किया जाए ताकि मन्दिर न्यास को किराए के रूप में हो रही प्रति माह हजारों रूपये की वित्तीय हानि को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त जिन दुकानदारों से प्रथम अनुबन्ध दिनांक 9.3.07 के अनुसार दण्ड ब्याज के लाखों रूपये वसूली हेतु शेष है तुरन्त वसूलने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

28 2 दुकाने अनियमित रूप से गृह रक्षक व सुरक्षा गार्डों को आबंटित करना व एक दुकान का खाली रखनाः—

मन्दिर न्यास के पास कुल 28 दुकाने है जिनमें 20 दुकानें किराए पर दे रखी हैं व 1 दुकान नम्बर 28 खाली है। 1 दुकान गृहरक्षकों को व 1 दुकान सुरक्षा गार्डों को दे दी गई है। 1 दुकान जूता रक्षक व 4 दुकाने अनुबन्ध अनुसार जज को दी है। अतः खाली 1 दुकान नम्बर 28 को तुरन्त निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त किराए पर दिया जाए व गृह रक्षकों व सुरक्षा गार्डों को आवंटित 1—1 दुकान कुल 2 दुकानें तुरन्त प्रभाव से खाली करवा कर उन्हें भी प्रतिमाह किराए पर दिया जाए। ताकि मन्दिर न्यास के किराए के रूप में हो रही प्रति माह हजारों रूपये की हानि को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त गृह रक्षकों व सुरक्षा गार्डों को एक—एक दुकान किन नियमों के अन्तर्गत आवंटित की है, का भी अभिलेख औचित्य सहित आगामी अंकेक्षण मे दर्शाया जाए।

29 दोष पूर्ण खुली बोली की प्रक्रिया के कारण किराए का कम निर्धारणः—

दुकान नम्बर 1, ,2, 3, 4, 5, 8 व 9 कुल 7 दुकानों को वर्ष 2009 मे खुली बोली द्वारा स्थानीय निवासियों को आवंटित किया गया है। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि उक्त दुकानों के किराए निर्धारण हेतु लगाई गई खुली बोली की प्रक्रिया ही दोष पूर्ण थी। नियमानुसार खुली बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक दुकान का प्रतिमाह सुरक्षित आधार किराए का निर्धारण किया जाना अपेक्षित था जो कि प्रति वर्ग फुट पी0डब्लयू0डी0 की दरों के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित था व तदानुसार ही निर्धारित मूल्य से ऊपर खुली बोली लगाई जानी थी लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा जीरो मूल्य से खुली बोली लगवाई गई है। फलस्वरूप दुकानों का किराया खुली बोली की प्रक्रिया दोषपूर्ण होने के कारण बाजारी दर की अपेक्षा बहुत कम निर्धारित हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः—

दुकान नम्बर	निर्धारित किराया प्रति माह
1	1550
2	800
3	450
4	470
5	575
8	425
9	400

अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित दुकानों के किराए का निर्धारण पी0डब्लयू0डी0/जिलाधीश द्वारा निर्धारित प्रति वर्ग फुट हेतु निर्धारित दरो के अनुरूप किया जाए ताकि मन्दिर न्यास को ही रही हजारों रूपये की प्रति माह किराए की हानि को रोका जा सके व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 मन्दिर अधिकारी व लेखाकार को दिए जा रहे चौतरफ अवैध, अनियमित एवं गलत लाभ बारेः—

जॉच के दौरान पाया गया कि मन्दिर अधिकारी व लेखाकार को सुसज्जित टाईप III आवास प्रदान किया गया है जिस हेतु वर्ष 2009 में वाऊचरसंख्या 65 दिनांक 16.2.09 को ₹34000 का फर्नीचर व अन्य सामान (1 लौवी मैट, 1 सैन्ट्रल टेबल, 1 अल्मारी, 1 जोड़ा बैड बॉक्स, 1 जोड़ा बैड बॉक्स विद स्लाईड, 2 जोड़ा मैट्रस, 2 बैड शीट) मन्दिर अधिकारी आवास हेतु खरीदा गया है। जहां एक तरफ उक्त अधिकारी व कर्मचारी को मुक्त आवास टाईप III प्रदान की है वहीं दूसरी तरफ उक्त अधिकारी व कर्मचारी सरकार अर्थात अपने—'2 विभाग से प्रतिमाह एच0आर0ए0 को भी आहरित कर रहे है इसके अतिरिक्त उक्त दोनों अधिकारी व कर्मचारी प्रतिमाह आवास सुविधा की एवज में नियमानुसार निर्धारित लाईसैंस फीस भी जमा नहीं करवा रहे है। इसके अतिरिक्त दोनों मन्दिर अधिकारी व लेखाकार प्रतिमाह ₹1500 व ₹1000 क्रमशः अतिरिक्त पारिश्रमिक भी मन्दिर कोष से आहरित कर रहे है इस तरह उक्त दोनों अधिकारी व कर्मचारी को चौतरफा अनैतिक व अनियमित लाभ दिए जा रहे है जिनका नियमों मे कोई प्रावधान नहीं है क्योकि उक्त दोनों अधिकारी व कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी है व मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है। इसलिए उक्त दोनों कर्मचारियों/अधिकारियों पर हिमाचल प्रदेश सरकार के नियम ही प्रभावी है व दोंनों अधिकारियों को दिया जा रहा चौतरफा अनैतिक एवं अनियमित लाभ नियमों के विपरीत है व हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक विन्यास अधिनियम मे मन्दिर अधिकारी व लेखाकार उक्त चौतरफा लाभ अनैतिक एवं अनियमित लाभ को तुरन्त प्रभाव से रोका जाना अपेक्षित है। अतः

अवैध एवं अनियमित चौतरफा लाभ को रोकने हेतु निम्नलिखित प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी अपेक्षित है।

(1) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर आवास सुविधा टाईप– III हेतु निर्धारित लाईसैंस शुल्क की वसूली प्रतिमाह उक्त दोनों मन्दिर अधिकारी व लेखाकार से जिस–2 तिथि से वे मन्दिर प्रतिनियुक्ति पर आए है उस माह से अब तक लाईसैंस फीस वसूली जानी सुनिश्चित की जाए व उक्त राशि को मन्दिर कोष में जमा करवाया जाए व भविष्य हेतु प्रतिमाह लाईसैंस फीस वसूली जानी सुनिश्चित की जाए।

(2) मन्दिर अधिकारी व लेखाकार के आवासों के बिजली व पानी के बिलों की प्रतिपूर्ति भी प्रतिनियुक्ति की तिथि से मन्दिर अधिकारी व लेखाकार से की जाए।

(3) मन्दिर अधिकारी व लेखाकार अपने–2 सम्बंधित विभाग से प्रतिनियुक्ति की तिथि से अब तक प्राप्त मकान किराये भत्ते को सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

(4) मन्दिर अधिकारी व लेखाकार को अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह प्रदान की गई राशि ₹1500/–व ₹1000/–की वसूली उक्त पारिश्रमिक प्रदान करने की तिथि से गणना उपरान्त एक मुश्त वसूली जानी सुनिश्चित की जाए।

31 मन्दिर न्यास लंगर से मन्दिर अधिकारी, लेखाकार व डिग्री कॉलेज हेतु गैस सिलैण्डर सप्लाई करने बारेः–

जांच में पाया गया कि मन्दिर अधिकारी व लेखाकार को मन्दिर के लंगर में प्रयोग होने वाले गैस सिलैण्डरों में से एक–एक गैस सिलैण्डर आवास हेतु भी जारी किया गया है। जिसकी पुष्टि लंगर प्रभारी द्वारा कुल 26 गैस सिलैण्डरों के विवरण प्रदान की गई सूचना से हुई है। लंगर प्रभारी द्वारा प्रदान की गई गैस सिलैण्डरों की सूची निम्नलिखित प्रकार से हैः–

लंगर में खाली व भरे हुए कुल गैस सिलैण्डर	22
मन्दिर अधिकारी आवास	1
लेखाकार आवास	1
कार्यालय प्रयोग	1
डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी	1

अतः मन्दिर अधिकारी आवास, लेखाकार आवास व डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को गैस सिलैण्डर किन आदेशों व किन नियमों के तहत मन्दिर लंगर से दिए गए है, स्पष्ट किया जाएं इसके अतिरिक्त यह गैस सिलैण्डर वर्ष 2002 से जारी किए है उसके बाद उक्त सिलैण्डरों बिना गैस कार्ड के सम्बंधित मन्दिर अधिकारी व लेखाकार द्वारा किस कार्ड के तहत भरवाया गया है, का विवरण भी जांच हेतु आपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि बिना गैस कार्ड के उक्त अधिकारी व कर्मचारी द्वारा मन्दिर कोष अर्थात लंगर खाते से उक्त गैस

सिलैण्डरों को भरवाया जाता है। अतः तुरन्त प्रभाव से 3 गैस सिलैण्डर मन्दिर अधिकारी, लेखाकार व ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज से वापिस लिए जाएं व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 श्री सुभाष चन्द, सफाई सेवक की सेवा पंजिका व व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी निम्नलिखित अवकाश पर रहा हैः–

1	परिवर्तित अवकाश	32 दिन	19.9.06 से 18.10.06 तक
2	अर्जित अवकाश	98 दिन	19.10.06 से 21.1.07 तक
3	असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित	754 दिन	22.1.07 से 18.2.09 तक
	कुल अवकाश	884 दिन	

उपरोक्त लम्बी अवधि पर उक्त कर्मचारी का अवकाश का 65% Mental Illness of Mental Retardation हैं जिस की पुष्टि उक्त कर्मचारी की व्यक्तिगत नस्ति में मेडिकल बोर्ड जिला कांगड़ा द्वारा दिए गए स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र से हुई है। उक्त 65% अस्थाई आयोग्यता मानसिक बीमारी को मध्यनजर रखते हुए उक्त कर्मचारी को प्रमाण पत्र के आधार पर सेवानिवृति दी जानी अपेक्षित थी क्योंकि उक्त सफाई सेवक कोई भी कार्य करने हेतु सक्षम नहीं है, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा अवैध व अनियमित तरीके से उसकी जगह उसकी पत्नी फूंला देवी से लंगर में राशन सफाई का कार्य करवाकर उक्त कर्मचारी के वेतन का उसकी पत्नी फूलां देवी को फरवरी 2009 से अब तक भुगतान किया गया है, जो कि एक गम्भीर अनियमितता होने के साथ मन्दिर न्यास नियमों के विरूद्व है। जिस हेतु मन्दिर अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी है व किसी भी अप्रिय घटना उक्त महिला के साथ घटित होने की स्थिति में मन्दिर न्यास पूर्णतयाः उत्तरदायी है। अतः उक्त गम्भीर प्रकरण मन्दिर प्रशासन के विशेष ध्यानार्थ तुरन्त प्रभावी कार्यवाही हेतु लाया जाता है व अनुरोध किया जाता है कि उक्त कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तुरन्त सेवानिवृति प्रदान की जाए व जैसा कि नियमों में प्रावधान है यदि मन्दिर प्रशासन उचित समझे तो उक्त सफाई सेवक की पत्नी को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से करूणामूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान कर सकता है।

33 कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई राशि 4 लाख रूपये बारेः–

मन्दिर न्यास कोष से वाउचर संख्या 274 दिनांक 13.8.09 के अन्तर्गत चार लाख रूपये जिला कांगड़ा मन्दिर कॉमन पूल को हस्तांतरित किए गए है। उक्त राशि आयुक्त मन्दिर जिला कांगड़ा के आदेशानुसार कांगड़ा जिला के अधीन सभी मन्दिरों मां ज्वालाजी, मां ब्रजेश्वरी, मां चामुण्डा मन्दिर से प्रति वर्ष हस्तांतरित की जाती है। ज्वालाजी मन्दिर कोष से कॉमन पूल हेतु राशि हस्तांतरण करने का कांगड़ा मन्दिर न्यास अधिनियम व हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक हिन्दू

विन्यास अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है व न ही कॉमन पूल बनाने का कोई प्रावधान ही है। प्रति वर्ष हस्तांतरित की जा रही लाखों रूपये की राशि को किन नियमों के अन्तर्गत किन किन उद्देश्यों पर व्यय किया जाता है का भी ब्यौरा मन्दिर न्यास के पास उपलब्ध नहीं है। स्वतः स्पष्ट है कि जब कांगड़ा मन्दिर न्यास अधिनियम व हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक हिन्दु विन्यास अधिनियम में कॉमन पूल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है तब कॉमन पूल का आदेशों के विपरीत कृत्रिम निर्माण व प्रतिवर्ष लाखों रूपये की राशि का मन्दिर कोष से हस्तांतरण करना व हस्तांतरित राशि का स्वेच्छानुसार व्यय करना आदि तथ्य किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता को उजागर करते है व हस्तांतरित राशि के दुरूपयोग की सम्भावना को परिलक्षित करते है। अतः मामला मुख्य आयुक्त मन्दिर हिमाचल प्रदेश के ध्यानार्थ तुरन्त नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही करने के प्रयोजन से लाया जाता है।

34 डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को दी गई राशि 5 लाख बारे:—

जांच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 82 दिनांक 27.2.09 द्वारा 5 लाख रूपये की राशि आयुक्त मन्दिर के आदेशानुसार डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को दी गई है। यह राशि अनुदान/ग्रांट के रूप में दी है या फिर आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है, इस स्थिति में सम्बंधित शैक्षणिक संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर अनुदान राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है व अगर यह राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई है, तब सम्बंधित शैक्षणिक का आय व्यय का विवरण प्राप्त करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सम्बंधित शैक्षणिक संस्था द्वारा अपने खातों से प्राप्त आय का उचित एवं सही उपयोग किया है व उक्त संस्था को वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त डिग्री कॉलेज का संचालन मन्दिर के अधीन है व प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है इस स्थिति में उक्त डिग्री कॉलेज के आय व व्यय का अंकेक्षण करवाया जाना अनिवार्य है क्योंकि छात्रों से शुल्क एवं निधियों के रूप मे कई लाखों रूपये की प्रति वर्ष आय प्राप्त होती है व उक्त आय का नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों पर ही व्यय किया गया है या नही, की सत्यापना अंकेक्षण के अभाव में सम्भव नहीं है। अतः मन्दिर प्रशासन से अनुरोध है कि अगर उक्त राशि अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है तो इस स्थिति में इस राशि व गत वर्षों में प्रदान की गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बंधित संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त करके जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा वित्तीय सहायता व संचालन मन्दिर न्यास का होने की अवस्था में उक्त संस्था की आय व्यय का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग से करवाया जाना अपेक्षित है।

37 श्री बलदेव सिंह, लिपिक का पदनाम गलत तरीके से वरिष्ठ क्लर्क दर्शाना:—

श्री बलदेव सिंह, लिपिक की व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त लिपिक को आयुक्त मन्दिर के पत्र संख्या—ए0डी0एम0—1/2006 692—714 दिनांक 19.8.06 के अन्तर्गत वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई। उक्त पदोन्नति आदेशों की शर्तों के अनुसार उक्त कर्मचारी को पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर श्री

ब्रजेश्वरी मन्दिर कांगड़ा में कार्यग्रहण करना था व कार्यग्रहण न करने की अवस्था में उक्त कर्मचारी द्वारा पदोन्नति को त्यागना (Forego) है। उक्त कर्मचारी ने मन्दिर आयुक्त के आदेशानुसार श्री ब्रजेश्वरी मन्दिर कांगड़ा मे आदेशों के 15 दिन के भीतर कार्यग्रहण नहीं किया व पदोन्नति का त्याग (Forego) किया है। बावजूद इसके उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका वेतन बिलों, अवकाश स्वीकृति पत्रों में पदनाम वरिष्ठ लिपिक दर्शाना आयुक्त मन्दिर के आदेशों की गम्भीर अवहेलना है। अतः उक्त कर्मचारी से सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख में उक्त कर्मचारी का पदनाम लिपिक लिखा जाए व तदानुसार वर्ष 2010में दिए गए संशोधित वेतनमानों में पे व ग्रेड पे का निर्धारण किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता की सेवापंजिका प्रस्तुत न करने व वेतन निर्धारण बारेः—

श्री विवेक सूद, कनिष्ठ अभियन्ता की सेवापंजिका व व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी निम्नलिखित अवकाश पर रहा हैः—

क्र0सं0	अवकाश की किस्म	अवधि	दिनों की संख्या
1	अर्जित अवकाश	4.7.06 से 14.9.06	73
2	परिवर्तित अवकाश	15.9.06 से 14.10.06	30
3	असाधारण अवकाश (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र)	15.10.06 से 13.11.07	395

आयुक्त मन्दिर के अवकाश स्वीकृति पत्र संख्या 1300—1301 दिनांक 14.11.08 के अनुसार असाधारण अवकाश की अवधि 15.10.06 से 13.11.07 कुल 364 दिन to be treated as diesnon on for all Intent”s purpose व आयुक्त मन्दिर के वेतन निर्धारण के पत्र संख्या ए0डी0एम01/05 मन्दिर 29—31 दिनांक 3.1.05 के अनुसार उक्त कर्मचारी दिनांक 3.1.05 को 1.1.02 से 5800—9200 का स्केल प्रदान 1.1.05 को ₹6400/—मूल वेतन निर्धारित किया है। उक्त कर्मचारी ने दिनांक 14.11.07 को कार्यग्रहण किया है।

उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है, क्योंकि उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका राम गोपाल मन्दिर डमटाल के मन्दिर अधिकारी के पास आवश्यक प्रविष्टियां करने हेतु भेजी गई हैं। अतः उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका में अवकाश की प्रविष्टियां करने व मूल वेतन निर्धारण करने उपरान्त जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

37 वाउचर संख्या 6 दिनांक 14.1.09 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार, सेवादार को यात्रा भत्ते के रूप में ₹1434/—का भुगतान किया है। उक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि यात्रा दैनिकी

की दर गलत व अधिक देने के कारण उक्त कर्मचारी को (₹25 प्रति दैनिकी की जगह ₹60 प्रति दैनिकी) 7 दैनिकी भत्ते हेतु ₹35 की दर से ₹245 का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली सम्बंधित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि कांगड़ा मन्दिर न्यास अधिनियम 2000 के अनुसार उक्त कर्मचारी ₹25 प्रति दैनिकी भत्ते हेतु ही पात्र है व अभी तक टी0ए0/डी0ए0 की दरो को संशोधित नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु आयुक्त मन्दिर के पत्र संख्या ए0डी0एम0 मन्दिर 272–275 दिनांक 16.3.09 में स्वतः स्पष्ट है। इसी तरह वाउचर संख्या 482 दिनांक 19.12.09 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार, ड्राफ्टमैन के टी0ए0 बिल राशि ₹1428/–में ₹35 की जगह ₹72 दैनिकी भत्ते की दर से भुगतान करने के कारण ₹518 दैनिकी भत्ते के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसकी वसूली सम्बंधित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि कांगड़ा मन्दिर न्यास अधिनियम 2000 के अनुसार उक्त कर्मचारी ₹25 प्रतिदिन दैनिकी भत्ते हेतु ही पात्र है व अभी तक टी0ए0/डी0ए0 की दरो को संशोधित नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु आयुक्त मन्दिर के पत्र संख्या ए0डी0एम0 मन्दिर 272–275 दिनांक 16.3.09 में स्वतः स्पष्ट है।

38 सूद आरा उद्योग, होशियारपुर को बैरियर टैक्स व ट्रक भाड़े के रूप में ₹16550 का गलत भुगतानः–

लंगर वालन फाईल की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2009 लंगर (माता जी की रसोई हेतु) हेतु सूखा वालन आपूर्ति करने हेतु क्रमांक ज्वालामुखी 1/2008 लंगर फाईल 1357 से 1367 दिनांक 8.12.08 को निविदाएं आमंत्रित की गई है व निविदा आमंत्रण पत्र की शर्त तीन के अनुसार वालन की आपूर्ति लंगर भवन तक जानी है। उक्त कार्य हेतु निविदाएं खोलने पर सूद आरा उद्योग होशियारपुर की प्रति क्विंटल सूखा वालन की दर ₹347 न्यूनतम पाए जाने पर उसे वर्ष 2009 मे सूखा वालन आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया है। उक्त फर्म की निविदा में बेरियर टैक्स व ट्रक भाड़ा अलग से अर्थात अतिरिक्त वसूलने की कोई भी शर्त निविदा में उल्लेखित नहीं है व न ही निविदा आमन्त्रण पत्र व आपूर्ति आदेश मे ऐसा उल्लेखित है। निविदा आमन्त्रण पत्र की शर्त 3 के अनुसार आपूर्ति लंगर भवन तक की जानी अनिवार्य है। बावजूद इसके मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2009 में आपूर्ति किए गए वालन के भुगतान वाउचरों में उक्त फर्म को गलत एवं अनियमित तरीके से बैरियर टैक्स व ट्रक भाड़े के रूप में राशि ₹16550/–का भुगतान कर दिया गया है जिसकी वसूली गलत एवं अनियमित भुगतान करने हेतु उत्तरदायी आहरण एवं वितरण अधिकारी अथवा सम्बंधित फर्म से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गलत एवं अनियमित भुगतान का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	माह	बैरियर टैक्स	ट्रक भाड़ा	कुल योग
1	25	1/09	1195	—	1195
2	113	3/09	1180	—	1180
3	182	5/09	1015	3446	4461
4	233	6/09	1132	3849	4981
5	334	9/09	1080	3653	4733
				कुल योग	**16550**

39 वालन ढुलाई व उतराई के रूप में लंगर प्रभारी को ₹11659 का गलत भुगतानः—

जैसे कि उपरोक्त पैरे में उल्लेखित है कि लंगर तक वॉलन की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा की जानी है। मन्दिर लंगर प्रभारी द्वारा वर्ष 2009 कें दौरान आपूर्ति किए गए वालन की उतराई व ढुलाई अलग से दर्शाकर ₹25 प्रति क्विंटल की दर से मन्दिर न्यास से कोरे कागज पर XYZ के नाम की रसीद बनाकर गलत एवं अनियमित भुगतान प्राप्त किया जाता रहा है। जिसकी पुष्टि उक्त भुगतान हेतु वर्ष 2009 मे काटे गए चैकों की जांच से हुई है। ढुलाई व उतराई हेतु वर्ष 2009 के दौरान अनियमित एवं गलत तरीके से अपनी जेब से भुगतान किया दर्शाकर लंगर प्रभारी द्वारा अपने नाम से चैक प्राप्त किए है, जबकि निविदा आमन्त्राण पत्र की शर्त 3 के अनुसार सूखा वालन की पहुंच लंगर भवन तक आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा ही की जानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मन्दिर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आपसी मिलीभगत से लंगर प्रभारी को वालन ढुलाई व उतराई के रूप में ₹25 प्रति क्विंटल की दर से अवैध तरीके से ₹11659/—का भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी आहरण एवं वितरण अधिकारी अथवा गलत तरीके से प्राप्तकर्ता उत्तरदायी लंगर प्रभारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। वालन उत्तराई व ढुलाई के रूप में किए गए गलत एवं अनियमित भुगतान का विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	उत्तराई राशि	ढुलाई राशि
1	26	30.1.09	300	2886.25
2	113	17.3.09	—	2956.25
3	234	26.6.09	—	2831.25
4	335	5.9.09	—	2685.00
			300	11358.75

40 **(क) (i)** जांच के दौरान पाया गया कि भैरों मन्दिर के गल्ले की गणना प्रथमबार दिनांक 11.12.08 को की गई है व उक्त गल्ले से ₹3247/—की आय प्राप्त हुई है जिसे उक्त मन्दिर के नाम से पी0एन0बी0 ज्वालालमुखी के बचत खाता संख्या 0717000102726414 में जमा करवाया गया है। उक्त भैरों मन्दिर पहले से ही मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अधीन है व अंकेक्षण दल द्वारा बार—2 अनुरोध करने पर व गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2006 से 31.12.07 के पैरा—13 भाग—एक (आय) के पैरा संख्या 4 पर वर्ष 2005, 2006, 2007 में टेहड़ा मन्दिर, अष्ट भुजा मन्दिर, कीर्तन/सत्संग भवन व भैरों मन्दिर की आय शून्य दर्शाने हेतु आपत्ति उठाना व मन्दिर न्यास द्वारा आंशिक कार्यवाही करने के कारण अवधि 14.12.08 से 7.11.09 तक भैरों मन्दिर से लगभग ₹46000 का आय व टेहड़ा मन्दिर से अवधि 24.12.07 से 21.11.09 तक ₹147000 की आय प्राप्त हुई है। स्वतः स्पष्ट है कि गत वर्षों में भी उक्त दोनों मन्दिरों से आय प्राप्त हुई होगी जिसे मन्दिर न्यास की अव्यवस्था व अप्रभावी नियन्त्रण की वजह से उक्त मन्दिरों में तैनात मन्दिर कर्मचारियों द्वारा दुरूपयोग किया जाता रहा है व उक्त दोनों मन्दिरों की पूर्व वर्षों की आय शून्य दर्शाई जाती रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अष्ट भुजा मन्दिर व कीर्तन/सत्संग भवन पर भी प्रभावी नियन्त्रण स्थापित किया जाए ताकि उक्त दोनों मन्दिरों से अब तक प्राप्त दर्शाई जा रही शून्य आय को वास्तविक प्राप्त आय में परिवर्तित किया जा सकें।

(ii) श्री भैरों मन्दिर की अवधि 11.12.08 से अब तक की रोकड़ वही तैयार नहीं की गई है। अतः दिनांक 11.12.08 से अब तक उक्त मन्दिर की रोकड़ वही तैयार की जाए व जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए व भविष्य में भैरों मन्दिर से प्राप्त आय का मन्दिर न्यास श्री ज्वालालमुखी की रोकड वही में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) श्री भैरों मन्दिर व टेहड़ा मन्दिर की बचत खातों में अब तक शेष बची राशि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के बचत खातों में हस्तांतरित की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iv) श्री भैरों मन्दिर व टेहड़ा मन्दिर की आय के गल्ला रजिस्टर तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व यह भी स्पष्ट किया जाए कि अवधि 11.12.08 से 20.5.09 तक भैरों मन्दिर की आय की गणना मन्दिर अधिकारी व लिपिक द्वारा बिना किसी न्यास सदस्य के बगैर क्यों की गई है, जिसे अब प्राधिकृत कमेटी के समक्ष खोला जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) रेहड़ा मन्दिर में आय प्राप्ति हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(ख) रेहड़ा मन्दिर की आय ₹15466 का अस्थाई गवन व रोकड़ वही का रखरखाव न करने बारेः—

जांच के दौरान पाया गया कि जिलाधीश कांगड़ा व आयुक्त मन्दिर के आदेश पत्र संख्या 352 दिनांक 16.8.07 व एस0डी0एम0 देहरा के पत्र संख्या 584 दिनांक 25.10.07 के अन्तर्गत श्री टेहड़ा मन्दिर को मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अधीन अधिग्रहण किया गया व

मन्दिर अधिकारी, श्री ज्वालामुखी मन्दिर को उक्त टेहड़ा मन्दिर का कार्यकारी प्रबन्धक बनाया गया है। उक्त मन्दिर के गल्लों की गणना दिनांक 24.12.07 को प्रथम बार की गई व चढ़ावे के रूप में ₹15466/–प्राप्त हुए है। जिसमें टेहड़ा मन्दिर के पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता संख्या 071700010017449 में दिनांक 9.06.08 को लगभग 6½ महीने के अन्तराल के बाद जमा करवाया गया है। इस प्रकार ₹15466/–की राशि अनावश्यक रूप से हस्तगत रखने पर अस्थाई पुर्विनियोजन किया गया है, जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त इस राशि पर दण्ड ब्याज की गणना करके आवश्यक वसूली कार्यकारी प्रबन्धक से की जानी अपेक्षित है व भविष्य में सम्पूर्ण आय गणना वाले दिन सम्बंधित मन्दिर के बचत खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) श्री टेहड़ा मन्दिर ज्वालाजी की अवधि 24.12.07 से अब तक रोकड़ वही तैयार नहीं की गई है। अतः दिनांक 24.12.07 से अब तक उक्त मन्दिर की रोकड़ वही तैयार करके जांच हेतु आगामी अंकक्षेण में प्रस्तुत की जाए व भविष्य में उक्त मन्दिर अर्थात टेहड़ा की आय का मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की रोकड़ वही में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

41 **लधु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

42 **निष्कर्षः–** लेखों के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है। मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कोई कार्यवाही न करना मन्दिर प्रशासन की लापरवाही व अप्रभावी नियन्त्रण को परिलक्षित करता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)(एच) (2)सी (15)(14) 188/96खण्ड–6–4065–4068 दिनांक, 21.07.2011 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 उपायुक्त एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 सचिव (भाषा विभाग) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2

4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 शिमला–9

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.